राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

पत्रांकः प.15(5)शिक्षा–4/2020 जयपुर, दिनांकः 22.07.2020

आदेश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के विधिवत रूप से अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) व (2) (क) (ख) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान सत्र 2020–21 से राज्य के समस्त विधि महाविद्यालय (अन्य विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालयों के सिवाय) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्धता प्राप्त करते हुए संचालित होंगें ।

विधि प्रथम वर्ष स्नातक एंव स्नात्तकोत्तर आदि(सत्र 2020–2021) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में नामांकित होगें। सत्र 2019–20 तक प्रवेशित/नामांकित सभी छात्रों की परीक्षा आयोजन व उपाधि प्रदान करनें इत्यादि का उत्तरदायित्व पूर्ववती विश्वविद्यालयों का ही होगा।

इस संबंध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एवं राज्य के समस्त राज्यपोषित विश्वविद्यालय परस्पर आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्ननांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय कुलाधिपति महोदय, राजभवन, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
7. कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
8. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
9. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
10. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
11. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
12. कलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
13. कुलपति, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर ।
14. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातिय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा ।

Scanned with CamScanner

15. कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर ।
16. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर ।
17. कुलपति, डॉ. भीमराव आम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को उनके पत्रांक 13/2020 दिनांक 22.04.2020 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के स्तर से समस्त राज्यपोषित विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर उनसे संबंधता प्राप्त विधि महाविद्यालयों की सूचना (Status) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करते हुए अधिनियम के विहित प्रावधानानुसार विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया उपयोगितानुसार चरणबद्ध रूप से ही की जानी है।
18. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner